

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विक्रम पुत्र मगनदीन राना निवासी अलगटवापुर थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-312/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रतीपाल पुत्र सीताराम निवासी मोहनापुर थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-436/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुल्तान पुत्र दुःखी ग्राम लोनपुरवा मौजा जगतापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-492/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.09.2023

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त नन्द कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को०नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना को०नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. नन्द कुमार पुत्र सुर्य लाल निवासी लखनपुर मौजा झूरी कुइया थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराईचा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-746/23 धारा 363, 366, 376(3) भादवि 5L/6 पाक्सो ऐक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० अमरनाथ मय टीम थाना को०नगर, गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.09.2023

मारपीट करने के 04 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.09.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मारपीट करने के 04 नफर वांछित अभियुक्तगण 01. मो0 रफीक 02. मो0 सद्दाम 03. मो0 ननके उर्फ मो0 अजीज व 04. मो0 शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने एक राय होकर दिनांक 31.08.2023 को जमीनी विवाद के चलते वादी, ग्राम प्रधान व ग्राम प्रधान के पति को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारा पीटकर घायल कर दिया था। जिससे ग्राम प्रधान की दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 रफीक पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी जनाबनकट मौजा सीरबनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मो0 सद्दाम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी जनाबनकट मौजा सीरबनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. मो0 ननके मो0 मुनीर निवासी जनाबनकट मौजा सीरबनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. मो0 शकील पुत्र मो0 रफईक निवासी जनाबनकट मौजा सीरबनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 291/2023 धारा 323,504,506,147,304 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- उ0नि0 अवधेश यादव मय टीम थाना धानेपुर गोण्डा।